कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–स/आंगनबाडी/2016–23/ दिनांक : As in E-Sign

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :– राजस्थान में ECCE एवं FLN को सुदृढ़ करने हेतु 09 बिन्दुओं की रूपरेखा के समन्वित क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायतीराज, (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांक : निस/शास/स्कूल शिक्षा/2025–26/87 दिनांक : 23.04.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसंगानुसार विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संयुक्त परामर्श के संदर्भ में प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें ECCE (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा) तथा FLN (मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता) परिणामों को सुदृढ़ करने हेतु 09 आवश्यक बिंदुओं के समग्र क्रियान्वयन का उल्लेख किया गया है।

इसी क्रम में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि NIPUN भारत के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा 03 से 08 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में आयु–उपयुक्त स्कूली तैयारी और मूलभूत अधिगम सुनिश्चित करने में अंतर–विभागीय सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। उक्त परामर्श के आलोक में, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु प्रस्तावित करता है, ताकि प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित 09 बिंदुओं को समन्वित एवं समयबद्ध ढंग से योजनाबद्ध कर क्रियान्वित किया जा सके।

अतः प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर उक्त की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार में ECCE (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा) तथा FLN (मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता) के क्षेत्र में प्रभावी प्रगति हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को वांछित निर्देश प्रदान कर प्रदत्त शासकीय निर्देशों की अक्षरशः पालना एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न : यथोक्त।

(डॉ. अरूण कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायतीराज, (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. निजी सचिव, शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर (जरिये ई–मेल)।
3. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (जरिये ई–मेल)।
4. उपनिदेशक, शाला दर्पण जयपुर को एपीआई व ऑनलाइन कार्य के संबंध में।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करवाये जाने बाबत (जरिये ई–मेल)।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत (जरिये ई–मेल)।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को पालनार्थ (जरिये ई–मेल)।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ (जरिये ई–मेल)।
9. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arun Kumar Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2025.05.12 15:19:59 IST
Reason: Approved

जिला शिक्षा अधिकारी
गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार,
कार्यालय शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय
एवं पंचायतीराज, (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग

क्रमांक : निस/शास/स्कूल शिक्षा/2025–26/87 **दिनांक 23.04.2025**

शिक्षा विभाग

1. **निदेशक माध्यमिक शिक्षा**
2. **निदेशक प्रारंभिक शिक्षा**
3. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारीगण**

महिला एवं बाल विकास विभाग

1. **निदेशक एकीकृत बाल विकास सेवाए**
2. **उप निदेशक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं**

विषयः राजस्थान में ECCE एवं FLN को सुदृढ़ करने हेतु 9–बिंदुओं की रूपरेखा के समन्वित क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

यह पत्र विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संयुक्त परामर्श के संदर्भ में है, जिसमें ECCE (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा) तथा FLN (मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता) परिणामों को सुदृढ़ करने हेतु 9 आवश्यक बिंदुओं के समग्र क्रियान्वयन का उल्लेख किया गया है।

शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, यह मानता है कि NIPUN भारत के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में आयु–उपयुक्त स्कूली तैयारी और मूलभूत अधिगम सुनिश्चित करने में अंतर–विभागीय सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

उक्त परामर्श के आलोक में, शिक्षा विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु प्रस्तावित करता है, ताकि निम्नलिखित 9 बिंदुओं को समन्वित एवं समयबद्ध ढंग से योजनाबद्ध कर क्रियान्वित किया जा सकेः

1. **आंगनवाड़ियों का निकटवर्ती विद्यालयों के साथ मैपिंगः** समन्वित दृष्टिकोण के अंतर्गत समग्र बाल विकास, प्रारंभिक शिक्षा परिणामों में सुधार और कक्षा 1 में प्रवेश को सुगम बनाने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों को पास के विद्यालयों से जोड़ा जाए।

2. **दूरस्थ, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में ECCE पर विशेष ध्यानः** इन क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों एवं प्राथमिक विद्यालयों के बीच सशक्त जुड़ाव द्वारा ECCE परिणामों को बेहतर किया जाए। किराए की इमारतों में चल रही अथवा मिनी आंगनवाड़ियों को प्राथमिक विद्यालयों में समावेशित किया जाना प्राथमिकता दी जाए, विशेषकर जहां तीन वर्षों की बालवाटिका व्यवस्था नहीं है।

3. **सहस्थान की संभावनाओं की जांचः** मिशन पोषण 2.0 की वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ियों के सह–स्थान की व्यवहार्यता राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर परखी जाए। इसमें गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिसमें अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था हो।

4. **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं प्री–स्कूल शिक्षकों की भूमिकाओं का निर्धारणः** ECCE के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु दोनों की भूमिकाएं स्पष्ट की जाएं और संयुक्त रूप से गतिविधियाँ (जैसे ECCE डे, वार्षिक दिवस, पोषण माह आदि) आयोजित की जाएं ताकि स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के साथ–साथ शिक्षा का भी समन्वित विकास सुनिश्चित हो।

5. Nipun Bharat **और आधारशिला के अधिगम परिणामों का प्रचार–प्रसारः** राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की आधारशिला (NCF&FS) के अंतर्गत विकसित अधिगम परिणामों को सभी आंगनवाड़ियों और बालवाटिकाओं तक पहुँचाया जाए ताकि 6 वर्ष की आयु तक बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पूरी तरह तैयार हो सके।

6. **संयुक्त प्रशिक्षण व्यवस्थाः** खेल आधारित ECCE पद्धति को मजबूत करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। यह प्रशिक्षण NCERT, SCERT, DIET एवं NIPCCD के सहयोग से पंचायत, ब्लॉक एवं क्षेत्रीय स्तरों पर हो।

7. **शैक्षिक खेल सामग्री का उपयोगः** Jaadui Pitara, e-Jaadui Pitara आधारशिला, नवचेतना एवं प्री–स्कूल शिक्षा किट जैसी सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए ताकि आंगनवाड़ियों एवं प्री–प्राइमरी विद्यालयों में ECCE अनुभव समृद्ध हो।

8. **डेटा साझेदारी की प्रणाली को सुव्यवस्थित करनाः** ECCE पहलों की प्रभावी निगरानी एवं बच्चों के आंगनवाड़ी से विद्यालयों में सुगम संक्रमण हेतु दोनों विभाग डेटा साझा करने की प्रणाली को विकसित करें। इसके लिए एक सामान्य विशिष्ट आईडी (जैसे APAAR ID) को अपनाया जाए ताकि जीवनपर्यंत शिक्षा निरंतरता बनी रहे।

9. **नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करनाः** दोनों विभाग राज्य स्तर पर आंगनवाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों का समेकितीकरण सुनिश्चित करें ताकि MoWCD एवं MoE की प्राथमिकताओं की पूर्ति हो सके। विशेष रूप से

क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय तंत्र को मजबूत कर, ज़मीनी स्तर की चुनौतियों को न्यूनतम करते हुए नीति क्रियान्वयन एवं निगरानी को बेहतर बनाया जाए।

10. **शिक्षा प्रदायन की निगरानी हेतु ऑनलाइन प्रणाली:** VSK/शाला दर्पण के माध्यम से मेंटर शिक्षकों द्वारा दी जा रही शिक्षा की निगरानी हेतु एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाए, जिससे शिक्षण गतिविधियों की गुणवत्ता, नियमितता एवं बच्चों की भागीदारी का वास्तविक समय में मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।

11. **शाला दर्पण एवं पोषण ट्रैकर के बीच** API Integration **:** शाला दर्पण एवं पोषण ट्रैकर पोर्टलों के बीच API Integration किया जाए, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों से विद्यालयों में बच्चों का केंद्रीकृत, डिजिटल और सुगम स्थानांतरण सुनिश्चित किया जा सके, तथा ECCE से कक्षा 1 में निर्बाध प्रगति को ट्रैक किया जा सके।

आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि ECCE एवं FLN के क्षेत्र में राज्य स्तर पर प्रभावी प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

(कृष्ण कुणाल)
शासन सचिव

(महेंद्र सोनी)
शासन सचिव